न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादीगण :—	बनाम	प्रतिवादीगण :—
1.मन्नदेवी पत्नी छीतरराम		1. नारूराम पुत्र जोराराम
2.श्यामसुन्दर पुत्र छीतरराम		2. सीताराम पुत्र जोराराम
3.रामुराम पुत्र छीतराराम		जाति माली सा. आबास
4.राधेश्याम पुत्र छीतरराम		3. शाखा प्रबन्धक जयपुर नागौर आ. बैक नांवा
जाति माली सा. आबास		4. तहसीलदार, नांवा

दावा बाबत :— खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा

उपस्थत :— श्री राजेश गुर्जर वकील वादीगण

मुकदमां नम्बर :— 104/2006 निर्णय दिनांक :— 13.7.17

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा स्व. जोराराम जी के वारिसान हैं। ग्राम आबास के खसरा नम्बर 68/1, 70 कुल रकबा 1.82 हैक्टयर स्थित हैं, स्व. जोराराम का स्वर्गवास होने पर जरिये उत्तराधिकार उनके जाईन्दा पुत्र छीतरराम, नारूराम, सीताराम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड हुई जिसके अनुसार वादीगण के पति व पिता का 1/3 हिस्सा पुश्तैनी दर्ज रिकार्ड हुआ तथा स्व. जोराराम जी ने अपने जीवनकाल में ही अपने तीनों पुत्र के बीच उक्त आराजीयत का सुविधा के अनुसार बंटवारा कर मौके पर विभाजन कर कब्जा सम्भला दिया था जोराराम के बड़े पुत्र वादी के पति व पिता का आज से 20 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया जिसके बाद वादीगण उनके हक हिस्से पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। स्व. जोराराम के जीवनकाल से ही वादीगण व प्रतिवादीगण मौके प विभाजीत हक हिस्से की भूमियों पर काबिज काश्त चल आ रहे हैं, जिसके अनुसार वादीगण ने प्रतिवादीगण को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा कर अलग अलग होल्डिंग कायम करवाने हेतु कहां तो उनके द्वारा इन्कार हो, गया तथा वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर मजबुरन वादीगण ने यह वाद पेश किया है। वादीगण ने वाद पेश कर ग्राम आबास के खसरा नम्बर 68/1, 70 कुल रकबा 1.82 हैक्टयर में वादीगण के 1/3 हिस्से का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड बंटवारा कर अलग खातेदारी घोषणा किऐ जाने की इस्तदुआ की है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 2 से 4 के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी 1 की ओर से अभिभाषक ने दिनांक 15.05.2006 को वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाह समय दिया गया। लगातार दिनांक 22.10.2016 तक समय दिया जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने तथा दिनांक 22.10.2016 को बार बार वकील प्रतिवादी व प्रतिवादी 1 स्वंय को बार बार

13/7/17 अधिकारी

अवाज लगाऐ जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात साक्ष्य वादी पेश होने के बाद वकील वादी की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्जावेजात का अवलोकन किया गया। वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वम 2060–2063 में ग्राम आबास के खसरा नम्बर 68/1, 70 कुल रकबा 1.82 हैक्टयर भूमि मन्नीदवी बेवा छीतर, श्यामसुन्दर, रामूराम, राधेश्याम पि. छितरराम 1/3 हिस्सा, नारूराम पुत्र जोराराम 1/3 हिस्सा तथा सीताराम पुत्र जोराराम 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हैं, जमाबन्दी के अनुसार उपरोक्त विवादित आराजीयत में वादीगण की 1/3 हिस्से की खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं, वादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्ताकर हैं जिसमें वादी अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड करवाकर अलग होल्डिंग कायम करवाना चाहते हैं जसका कानूनन उन्हें पूर्ण अधिकार हैं, प्रतिवादीगण ने बावजूद सूचना किसी प्रकार का जवाब व ऐतराज पेश नहीं किया है, तथा प्रस्तुत गवाहों ने स्व. जोराराम द्वारा भूमि का बंटवारा कर अलग अलग कब्जा सुपुर्द कर अपने तीनों पुत्रों को काबिज करना बताया हैं जिससे वादी के वाद की पुष्टी होने से वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर में नियत की गई।

राजस्व लोक अदालत शिविर में पटवारी हल्का को मौके पर भिजवाकर बंटवारा प्रस्ताव पेश किया। जिसको पढ़ सुन समझ कर सभी ने सही होना स्वीकार किया हैं तथा [illegible] का वाद स्वीकार किऐ जाने की इस्तदुआ की है। बंटवारा प्रस्ताव से वादी की सहमति होने से वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया योग्य है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम आबास के खसरा नम्बर 68/1, 70 कुल रकबा 1.82 हैक्टयर भूमि खसरा नम्बर 68/1 रकबा 0.15 हैक्टयर भूमि में वादीनी व प्रतिवादीगण 1 व 2 प्रत्येक को 1/3 , 1/3 हिस्से का संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जाता हैं खरा नम्बर 70 रकबा 1.67 हैक्टयर में पश्चिमी सींव पर 87 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई में रास्ता रहेगा जो वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में संयुक्त रूप से रहेगी तथा खसरा नम्बर 70 की शेष भूमि में उत्तरी तरफ 1/3 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर वादी की अलग होल्डिंग कायम की जावे। नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.7.17 को राजस्व लोक अदालत में मजमें आम सुनाया गया।

13/7/17

(एस.एम.शाह)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, नांवा

डिक्री मुकदमां इब्तहाई (ओ. 20 रूल 6–7 दीवानी)

अदालतः– **उपखण्ड अधिकारी नांवा, जिला नागौर, राज.**

अज अदालत :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1.मन्नदेवी पत्नी छीतरराम		1. नारूराम पुत्र जोराराम
2.श्यामसुन्दर पुत्र छीतरराम		2. सीताराम पुत्र जोराराम
3.रामुराम पुत्र छीतराराम		जाति माली सा. आबास
4.राधेश्याम पुत्र छीतरराम		3. शाखा प्रबन्धक जयपुर नागौर आ. बैक नांवा
जाति माली सा. आबास		4. तहसीलदार, नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा

मुकदमां नम्बर :– 104/2006

निर्णय दिनांक :– 13.7.17

यह मुकदमां आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू........बहाजरी श्री राजेश कुमार गुर्जर को जाता है कि व डिक्री दी जाती हैं कि :–

ग्राम आबास के खसरा नम्बर 68/1, 70 कुल रकबा 1.82 हैक्टयर भूमि खसरा नम्बर 68/1 रकबा 0.15 हैक्टयर भूमि में वादीनी व प्रतिवादीगण 1 व 2 प्रत्येक को 1/3, 1/3 हिस्से का संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जाता हैं खरा नम्बर 70 रकबा 1.67 हैक्टयर में पश्चिमी सींव पर 87 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई में रास्ता रहेगा जो वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में संयुक्त रूप से रहेगी तथा खसरा नम्बर 70 की शेष भूमि में उत्तरी तरफ 1/3 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर वादी की अलग होल्डिंग कायम की जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.7.17 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः 13/7/17

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
नांवा

उपखण्ड अधिकारी नांवा

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा			स्टम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गाहान		
खर्चा गाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरीक		
मुतफरीक					
मीलान			मीजान		